

गी/23 पगावली प्रशासन गावो के वंग कम खरेदा
 मे पेश हुवे। प्रकरण मे अदि. प्रार्थी द्वारा
 कोर कार्यवाही नही चाहकर पूर्व मे Not proce
 किया जा चुका है। अदि. प्रार्थी द्वारा Not press
 किया जाने से पगावली मे कोर कार्यवाही
 शेष नही रहती है। अतः कोर कार्यवाही
 शेष नही रहने से पगावली को रहती है



दिनांक

कार्यवाही विवरण

स्तर पर श्रेय किया जाता है। पञ्जावली
फैसल शुमार होकर विवर स्त कय

निर्णय सुनाया गया।